



2026:AHC-LKO:12310-DB

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1478 सन 2026

संजीव माहेश्वरी एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, द्वारा आवास आयुक्त

एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार दुबे

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : पुनीत चंद्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को जिला उपभोक्ता फोरम/जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, आगरा द्वारा दिनांक 24.06.1995 को याचिकाकर्ता की माता द्वारा दायर मामले संख्या सीएफ-1092/1992 में दिए गए निर्णय के अनुसार उसे दिए गए लाभ को जारी रखने के लिए परमादेश चाहता है।

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसे निर्णय और आदेश के निष्पादन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इतने वर्षों बाद रिट याचिका पर विचार करने का हमें कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि मूल रूप से दिनांक 24.06.1995 के उपरोक्त निर्णय के निष्पादन की मांग की जा रही है।
3. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[ न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी ]

[ न्यायमूर्ति राजन राय ]

फ़रवरी 17, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।